

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

पत्रांक:-...598

दिनांक:-26/03/2022

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०-01/2019 कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत)

विज्ञापन सं०-01/2019, कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पद पर नियुक्ति के प्रसंग में CWJC No.-9817/2020 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-07.09.2021 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में कार्यानुभव गणना हेतु निर्धारित तिथि को दिनांक-28.02.2019 से परिवर्तित कर, आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक-17.02.2020 तक विस्तारित किया गया। दिनांक-07.03.2022 से 14.03.2022 तक सभी अभ्यर्थियों से विस्तारित अवधि के कार्यानुभव का दावा करने हेतु आयोग के वेबसाइट पर व्यवस्था किया गया था।

उक्त अवधि में प्राप्त सभी कार्यानुभव दावा वाले अभ्यर्थियों एवं दिव्यांग तथा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों का काउंसलिंग दिनांक-23.03.2022 से 25.03.2022 तक कराया गया।

काउंसलिंग की उक्त अवधि में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक, कोटि एवं अन्य डाटा जाँचोपरांत तैयार कर आयोग के वेबसाइट पर डाला गया है एवं आपत्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक-27.03.2022 से 29.03.2022 की संध्या 06:00 बजे अप० तक समय सीमा निर्धारित की गयी है। आपत्ति (यदि हो तो) दर्ज करने हेतु वेबसाइट-www.btsc.bih.nic अथवा इस लिंक पर (<http://103.112.252.139/JE>) के माध्यम से किया जा सकता है।

इस अवधि में उक्त सभी अभ्यर्थियों के अतिरिक्त केवल वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में काउंसलिंग कराया गया है एवं आयोग स्तर से जाँच के उपरान्त अंक, कोटि इत्यादि में परिवर्तन हुआ है अथवा संबंधित संस्थानों से डिप्लोमा प्रमाण-पत्र के सत्यापन प्रतिवेदन में अप्रमाणिक(Fake) अथवा Distance Mode से डिप्लोमा होने का प्रतिवेदन प्राप्त होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया है, वे भी उक्त अवधि में अपना प्राप्तांक/कोटि/अभियुक्ति आदि देख सकते हैं तथा आपत्ति (यदि हो तो) दर्ज कर सकते हैं।

अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, मोबाईल नम्बर अथवा Email एवं जन्म तिथि डालकर रजिस्टर्ड मोबाईल नं० पर प्राप्त OTP के आधार पर Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने पर अथवा प्राप्तांक से असंतुष्ट/असहमत होने पर अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाइट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं।

उक्त ऑनलाईन ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई-मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें :-

1. ऑनलाईन आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है।

2. कार्यानुभव का अंक केवल **संविदा** के आधार पर बिहार सरकार के अन्तर्गत **कनीय अभियंता** के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी को दिया गया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कनीय अभियंता को अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है।
3. अनुभव की गणना दिनांक-17.02.2020 तक की गई है। अनुभव प्रमाण-पत्र एवं वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र दिनांक-14.03.2022 के पूर्व का निर्गत होने पर ही मान्य है।
4. वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र (दिनांक-14.03.2022 के पूर्व का निर्गत) काउंसलिंग में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।
5. ऑनलाइन आवेदन में जिस भी कोटि में दावा किया गया है, परन्तु काउंसलिंग में किसी अन्य कोटि का प्रमाण-पत्र दिया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में रखा गया है।
6. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछड़ा वर्ग (BC)/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (EBC) कोटि में दावा किया है, परन्तु काउंसलिंग के तिथि के पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में रखा गया है।
7. वैसे महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा आरक्षित कोटि में दावा किया गया, परन्तु जाति अथवा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र पति के नाम से निर्गत है, वैसे अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि में रखा गया है।
8. विज्ञापन में वर्णित अधिकतम उम्र सीमा पार कर गये अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से कार्यानुभव का अंक नहीं देने/कोटि परिवर्तन होने पर आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

- नोट:-
1. प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अंकों की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी।
 2. संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांको की जाँच हेतु अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।


26.3.2022
सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।